राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः— प.11(9)नविवि / 2020पार्ट जयपुर, दिनांकः— 20 JUL 2023

आदेश

मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र शहर का नाम..................(भवन विनियम) 2020 के विनियम 11.7.2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः—

"स्टिल्ट फ्लोर की अधिकतम ऊंचाई भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार होगीः—

- 750 व.मी. से कम— 3.0 मी (आदेश दिनांक 29.11.2022 के अनुसार)
- 750 व.मी. से अधिक 1500 व.मी. तक— 4.5 मी.
- 1500 व.मी. से अधिक 5000 व.मी. तक— 6.5 मी.
- 5000 व.मी. से अधिक— 8.5 मी.

नोटः—

1. उपरोक्तनुसार ऊंचाई स्टिल्ट फ्लोर पर मैकेनिकल पार्किंग प्रस्तावित किये जाने पर ही अनुमत होगी। यदि स्टील्ट फ्लोर पर मैकेनिकल पार्किंग प्रस्तावित नहीं की जाती है तो स्टील्ट फ्लोर की अधिकतम ऊंचाई 3.0 मी. ही अनुमत होगी। तदानुसार ही ऊंचाई को भवन की गणना योग्य अधिकतम ऊंचाई में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. भवनों में यदि एक से अधिक स्टिल्ट फ्लोर प्रस्तावित किये जाते है तो ऐसी स्थिति में भूतल को ही स्टील्ट फ्लोर माना जावेगा, ऊपर के तलों को पार्किंग फ्लोर माना जावेगा तथा ऐसे पार्किंग फ्लोर की ऊंचाई को गणना योग्य अधिकतम ऊंचाई में सम्मिलित किया जावेगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम